

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2011—चैत्र 1, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011

क्र. 1861-111-21-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०११

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०११.

[दिनांक १८ मार्च, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ मार्च, २०११ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग चार हजार एक सौ अट्ठाईस करोड़ सड़सठ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रकारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए राज्य की संचित निधि में से ४१,२८,६७,९९,९०० रुपये का दिया जाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
०१.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा सामान्य प्रशासन	राजस्व	०	२,७४,५०,९५,०००	२,७४,५०,९५,०००
		राजस्व	२,२९,०१,०००	२,२५,००,०००	४,५४,०१,०००
		पूंजी	८,८२,८५,०००	०	८,८२,८५,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	९,००,०००	०	९,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	५२,३९,०००	०	५२,३९,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३,३५,००,०००	०	३,३५,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	५,८६,५१,२१,०००	०	५,८६,५१,२१,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	०	३२,५८,७०,०००	३२,५८,७०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१,८२,७८,६००	०	१,८२,७८,६००
१०.	वन	राजस्व	२५,६८,८५,०००	०	२५,६८,८५,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	३,०९,०४,०००	०	३,०९,०४,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१२.	ऊर्जा		
	पूँजी	१३,८१,३६,६३,०००	० १३,८१,३६,६३,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास		
	राजस्व	२०,००,००,०००	० २०,००,००,०००
१७.	सहकारिता		
	राजस्व	३,७४,९५,७००	० ३,७४,९५,७००
१८.	श्रम		
	राजस्व	११,११,४७,०००	० ११,११,४७,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
	पूँजी	३,०००	० ३,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
	राजस्व	४,२४,६५,०००	० ४,२४,६५,०००
	पूँजी	१००	० १००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय.		
	राजस्व	५०,१०,००,०००	० ५०,१०,००,०००
२३.	जल संसाधन		
	राजस्व	४,२०,००,०००	० ४,२०,००,०००
	पूँजी	१,३५,५०,००,०००	० १,३५,५०,००,०००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.		
	पूँजी	५,०००	३,००,००,००० ३,००,०५,०००
२६.	संस्कृति		
	राजस्व	१७,००,०००	० १७,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)		
	राजस्व	८५,२१,११,०००	० ८५,२१,११,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य		
	राजस्व	१०,००,०००	६५,००,००० ७५,००,०००
३२.	जनसंपर्क		
	राजस्व	१२,२५,६६,०००	० १२,२५,६६,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण		
	राजस्व	९८,८३,३३,०००	० ९८,८३,३३,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३४.	समाज कल्याण	राजस्व	९३,००,०००	०	९३,००,०००
३५.	पुनर्वास	राजस्व	५,८३,०००	०	५,८३,०००
३७.	पर्यटन	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	४,३३,००,०००	०	४,३३,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	३२,६९,११,२००	०	३२,६९,११,२००
		पूंजी	२००	०	२००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल.	पूंजी	२००	०	२००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	२३,५७,०२,०००	०	२३,५७,०२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण.	राजस्व	२६,९३,३६,४००	०	२६,९३,३६,४००
		पूंजी	४५,००,००,१००	०	४५,००,००,१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१,९८,९०,००,०००	०	१,९८,९०,००,०००
५०.	बीस सूत्र कार्यान्वयन	राजस्व	१,१७,८३,०००	०	१,१७,८३,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	८३,१६,५५,०००	०	८३,१६,५५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	६,९५,८४,७५,०००	०	६,९५,८४,७५,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूँजी	६४,६४,३५,०००	०	६४,६४,३५,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	१०,२४,५१,०००	०	१०,२४,५१,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	४६,७८,९०,०००	०	४६,७८,९०,०००
		पूँजी	३०,००,००,४००	०	३०,००,००,४००
६५.	विमानन	राजस्व	३,९४,३८,०००	०	३,९४,३८,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	५१,५८,००,०००	०	५१,५८,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूँजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.	पूँजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	९९,००,०००	०	९९,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	३१,७५,०००	०	३१,७५,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	६,६५,०१,०००	०	६,६५,०१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७६.	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूँजी	१२,९६,००,०००	०	१२,९६,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व	५,९०,९६,०००	०	५,९०,९६,०००
	योग :	{ राजस्व	१९,१७,४८,४२,९००	३,०९,९९,६५,०००	२२,२७,४८,०७,९००
		{ पूँजी	१८,९८,१९,९२,०००	३,००,००,०००	१९,०१,१९,९२,०००
	वृहद् योग . .		३८,१५,६८,३४,९००	३,१२,९९,६५,०००	४१,२८,६७,९९,९००

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2011

क्र. 1862-111-इक्कीस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 18th March, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 22nd March, 2011.]

A Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2010-2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2011.

Issue of Rs. 41,28,67,99,900 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2010-2011.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of four thousand one hundred twenty eight crore sixty seven lakh ninety nine thousand nine hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2010-2011 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. Appropriation.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt..			
	Revenue	0	2,74,50,95,000	2,74,50,95,000
01.	General Administration			
	Revenue	2,29,01,000	2,25,00,000	4,54,01,000
	Capital	8,82,85,000	0	8,82,85,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department.			
	Revenue	9,00,000	0	9,00,000
03.	Police			
	Revenue	52,39,000	0	52,39,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department.			
	Revenue	3,35,00,000	0	3,35,00,000
06.	Finance			
	Revenue	5,86,51,21,000	0	5,86,51,21,000
07.	Commercial Tax			
	Revenue	0	32,58,70,000	32,58,70,000
08.	Land Revenue and District Administration.			
	Revenue	1,82,78,600	0	1,82,78,600
10.	Forest			
	Revenue	25,68,85,000	0	25,68,85,000
11.	Commerce, Industry and Employment.			
	Revenue	3,09,04,000	0	3,09,04,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
12.	Energy	Capital	13,81,36,63,000	0	13,81,36,63,000
13.	Farmers Welfare and Agriculture Development.	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
17.	Co-operation	Revenue	3,74,95,700	0	3,74,95,700
18.	Labour	Revenue	11,11,47,000	0	11,11,47,000
19.	Public Health and Family Welfare	Capital	3,000	0	3,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	4,24,65,000	0	4,24,65,000
		Capital	100	0	100
22.	Urban Administration and Development-Urban Bodies.	Revenue	50,10,00,000	0	50,10,00,000
23.	Water Resources Department	Revenue	4,20,00,000	0	4,20,00,000
		Capital	1,35,50,00,000	0	1,35,50,00,000
24.	Public Works-Roads and Bridge.	Capital	5,000	3,00,00,000	3,00,05,000
26.	Culture	Revenue	17,00,000	0	17,00,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	85,21,11,000	0	85,21,11,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	10,00,000	65,00,000	75,00,000
32.	Public Relations	Revenue	12,25,66,000	0	12,25,66,000
33.	Tribal Welfare	Revenue	98,83,33,000	0	98,83,33,000
34.	Social Justice	Revenue	93,00,000	0	93,00,000

(1)	(2)	(3)		
			Rs.	Rs.
35	Rehabilitation	Revenue	5,83,000	0
				5,83,000
37	Tourism	Capital	10,00,00,000	0
				10,00,00,000
39	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.	Revenue	4,33,00,000	0
				4,33,00,000
41	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	32,69,11,200	0
		Capital	200	0
				200
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges.	Capital	200	0
				200
44	Higher Education	Revenue	23,57,02,000	0
				23,57,02,000
45	Minor Irrigation Works	Revenue	1,00,00,000	0
				1,00,00,000
47	Technical Education and Skill Development.	Revenue	26,93,36,400	0
		Capital	45,00,00,100	0
				45,00,00,100
48	Narmada Valley Development	Capital	1,98,90,00,000	0
				1,98,90,00,000
50	20 Point Implementation	Revenue	1,17,83,000	0
				1,17,83,000
52	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	83,16,55,000	0
				83,16,55,000
58	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	6,95,84,75,000	0
				6,95,84,75,000
61	Expenditure pertaining to Bundelkhand package.	Capital	64,64,35,000	0
				64,64,35,000
62	Panchayat	Revenue	10,24,51,000	0
				10,24,51,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
63	Minority Welfare	Revenue	8,00,00,000	0	8,00,00,000
64	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	46,78,90,000	0	46,78,90,000
		Capital	30,00,00,400	0	30,00,00,400
65	Aviation	Revenue	3,94,38,000	0	3,94,38,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	51,58,00,000	0	51,58,00,000
67	Public Works-Buildings	Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
72	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
73	Medical Education Department	Revenue	99,00,000	0	99,00,000
74	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	31,75,000	0	31,75,000
75	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	6,65,01,000	0	6,65,01,000
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department.	Capital	12,96,00,000	0	12,96,00,000
77	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education).	Revenue	5,90,96,000	0	5,90,96,000
Total :		Revenue .	19,17,48,42,900	3,09,99,65,000	22,27,48,07,900
		Capital ..	18,98,19,92,000	3,00,00,000	19,01,19,92,000
Grand Total . .			38,15,68,34,900	3,12,99,65,000	41,28,67,99,900